

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 144वीं बैठक दिनांक
11 फरवरी, 2011 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

- | | |
|---|---|
| 1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. श्री मृत्युंजय कुमार नारायण | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. श्री एच०पी० सिंह,
उपसचिव, उ०प्र० शासन | प्रतिनिधि—सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
उ०प्र० शासन, लखनऊ। |
| 4. श्री प्रताप सिंह भदौरिया
अपर नगर आयुक्त | प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ। |
| 5. श्री एन०आर०वर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 6. श्री सोमेश्वर दयाल | निदेशक, कोषागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 7. ई० बृजेन्द्र प्रताप सिंह | मुख्य अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ। |
| 8. श्री सी०पी० शर्मा
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक | प्रतिनिधि—आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 9. श्री एन०पी० सिंह
संयुक्त निदेशक पर्यटन | प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 10. श्री गोविन्द पाण्डेय | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 11. श्री राम कृष्ण यादव | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 12. श्री सुरेश कुमार रावत | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 13. श्री मुख्तार अली 'मन्सू' | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |

अन्य उपस्थिति :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 14. श्री आनन्द कुमार सिंह | सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 15. श्री संजीव सिन्हा | अपर सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 16. श्री बी०आर० चक्रवर्ती | वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०। |
| 17. श्री एस०एन० त्रिपाठी | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०। |
| 18. श्री एस०एस० दलाल | सहयुक्त नियोजक, लखनऊ। |
| 19. श्री जे०एन० रेड्डी | नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |
| 20. श्री रवि जैन | नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |



कार्यवाही :—

नवागन्तुक सचिव के औपचारिक परिचय के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये :—

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.08.2010 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.08.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.08.2010 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

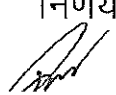
निर्णय : प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.08.2010 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना वर्ष 2009—10 के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु ग्राम गहरू स्थित खसरा सं0—1308 की 13.92 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को 'कृषि' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 4 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में परिषद की लखनऊ स्थित वृन्दावन एवं आम्रपाली योजनाओं को लखनऊ महायोजना 2021 में नये एवं अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जाने से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह



सुनिश्चित किया जाये कि जो भी योजनागत क्षेत्र अविकसित के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाये, उसमें निर्माण एवं विकास 10 प्रतिशत से कम हो।

विषय संख्या : 5

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 'क्रिकेट स्टेडियम तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स' के पी०पी०पी० मोड पर निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन तथा विभिन्न उपयोगों हेतु अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०) एवं अधिकतम भू-आच्छादन के निर्धारण से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 6

जियामऊ आबादी तथा लोहियापथ के मध्य स्थित आवासीय भूमि से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2010-11 (जनवरी 2011 तक) का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 का आय-व्ययक।

निर्णय :

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2010-11 का वास्तविक एवं पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 का आय-व्ययक निम्न observations के साथ स्वीकृत किया गया :-

1. पृष्ठ संख्या-20 के मद संख्या 12 के अन्तर्गत आडिट फीस का प्राविधान गत वर्ष कम रखा गया है।
2. पृष्ठ संख्या-20 के मद संख्या-15 में मानदेय की धनराशि में विगत वर्षों की तुलना में बढ़ोत्तरी अधिक है। अतः इसका पुनर्निर्धारण किया जाये।
3. पृष्ठ संख्या-20 के मद संख्या-17 में कार्यालय भवन के रख-रखाव की धनराशि में कमी की जाये एवं

विद्युत अनुरक्षण की धनराशि को अलग मद के अन्तर्गत रखा जाये।

4. पृष्ठ संख्या-28 के मद संख्या-09 के अन्तर्गत सी0एस0आई0 भवन के अनुरक्षण की धनराशि का पुनर्परीक्षण किया जाये।

5. पृष्ठ संख्या-30 के मद संख्या-29 के अन्तर्गत 2010-11 का पुनरीक्षित व्यय 2010-11 के जनवरी माह तक के वास्तविक व्यय से कम दिखाया गया है। यदि यह त्रुटिपूर्ण हो, तो इसे ठीक कर लिया जाये।

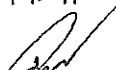
विषय संख्या : 8 लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र की महायोजना-2021 (प्रारूप) के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र की महायोजना-2021 (प्रारूप) को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-11 के अन्तर्गत जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

2. लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र की महायोजना-2021 (प्रारूप) में प्रस्तावित रोड नेटवर्क के कारण लखनऊ की स्वीकृत महायोजना-2021 की 09 सड़कों की चौड़ाई में परिवर्तन होगा। अतः प्राधिकरण द्वारा इन सड़कों की चौड़ाई में संशोधन हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 9 लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत माल एवेन्यू एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षा जोन घोषित किये जाने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 5111(2)/8-3-10-57 विविध/2010 दिनांक 14.12.10 द्वारा जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के पश्चात प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास



अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 10 प्राधिकरण की रायबरेली रोड योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग को महायोजना-2021 में 76.00 मीटर के स्थान पर 60 मीटर किये जाने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 5072/8-3-10-144विविध/2010 दिनांक 22.12.10 द्वारा जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार। (प्राधिकरण की 141वीं बैठक दिनांक 18.05.10 के विषय संख्या-17 के अन्तर्गत अनुमोदित)

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 11 मे0 अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0 लि0 द्वारा लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाई-टेक टाउनशिप के मदरसिटी भाग के भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 12 शासन की निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति के अन्तर्गत मे0 विराज कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 स्वीकृत करने के संबंध में।




निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 13 इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु मे० ओमेक्स लि० द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: 5873/आठ-1-05/34विविध/03टी०सी०-1 दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 09.12.2010 पर विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 14 डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि के आवंटन एवं दरों में शासनादेश के अनुसार छूट एवं नगर महायोजना में अंकित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 15 गोमती नगर विस्तार योजना में उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के अनुरोध पर आवन्ति 25 एकड़ भूमि के प्रति देय धनराशि, दो वर्षों के स्थान पर पांच वर्षों में लिए जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 16 33/11 के०वी० विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हेतु मानसरोवर योजना सेक्टर 'ओ' के "फैसिलिटीज (एफ-2)" के भूखण्ड को सब-स्टेशन 'यूटिलिटीज' भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।




निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 17 लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मे0 अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0 लि0 द्वारा विकसित की जा रही हाई-टेक टाउनशिप के मदरसिटी भाग के सेक्टर-आई स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 35.41 एकड़ में प्रस्तावित 1828 फ्लैट्स के विन्यास मानचित्र के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 18 गोमती नगर विस्तार योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त तलपट मानचित्र में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 19 उ0प्र0 उर्दू, फारसी, अरबी विश्वविद्यालय का भूमि जो लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित पर्यावरण पार्क/वन के भू-उपयोग से 'शैक्षिक' (सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं) उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 20 गोमती नगर विस्तार योजना में विभिन्न ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर बहुमंजिले भवन, सुलभ आवास एवं एस0एस0बी0 हेतु भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।



निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 21 शारदा नगर योजना के प्राइमरी स्कूल भूखण्ड संख्या 3 पर हाईस्कूल अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। स्थल पर उपलब्ध सड़क की चौड़ाई एवं ट्रैफिक इत्यादि की समस्याओं के दृष्टिगत परीक्षण करने के उपरान्त अन्तिम निर्णय हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया एवं प्रस्ताव उचित पाने पर शासनादेश संख्या 2438/9-आ-3-60एलयूसी/96 दिनांक 13.10.98 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रस्ताव पर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों पर विचार करने हेतु एक नीति तैयार कर ली जाये एवं अनुमोदन प्राधिकरण/शासन से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 22 श्रीमती कल्याणी शर्मा को विकांत खण्ड, गोमती नगर में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या सी०पी०-7 के भू-उपयोग को "पेट्रोल पम्प" से "व्यावसायिक" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं शासनादेश संख्या 2438/9-आ-3-60 एलयूसी/96 दिनांक 13.10.98 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रस्ताव पर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 23 स्व० श्री ए०एम०सिद्दीकी, अधि०अभि०, स्व० श्री एस०के०सिंह, सहा०अभि०, श्री शील कुमार श्रीवास्तव, अवर अभि०, श्री लालजी शुक्ला, अवर अभि०, श्री राम प्रसाद यादव, सहा०अभि० एवं स्व० श्री हरीनाथ यादव, अवर वर्ग सहायक की



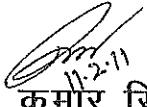

चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

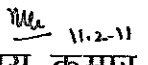
निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समयाभाव के कारण अन्य प्रस्तावों पर विचार न हो सका। अतः इन्हें आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव


(मृत्युंजय कुमार नारायण)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।